

# मेरठ में अवैध गैस सिलेंडर्स का भारी मात्रा में निर्माण

मेरठ (टीई)। नागपुर स्थित विस्फोटक पदार्थों से सम्बंधित विभाग ने मेरठ जिले में अवैध रूप से निर्मित होने वाले मिनी गैस सिलेण्डरों की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये नोटिस भेजा है। इस नोटिस की प्रतियां मेरठ के जिलाधीश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजकर इस मामले में तुरंत एक्शन लेने को कहा है।

नागपुर के मुख्य नियंत्रक (विस्फोटक सम्बंधी विभाग) एस.आर. भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग सचिव की लिखे पत्र में कहा है कि मेरठ में निर्मित होने वाले मिनी गैस सिलेण्डर सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है, अतः इनके निर्माण पर रोक लगाने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जानी

मेरठ जिले में सुरक्षा के लिये खतरनाक अनुमानित २५ हजार मिनी गैस सिलेण्डरों का निर्माण होता है। इनमें से लगभग १० प्रतिशत माल दिल्ली आया है जहां से इन देश के विभिन्न भागों में माँचा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरठ से यह माल नेपाल तक भेजा जाता है। यह मिनी सिलेण्डर अनेक ब्रांड नामों से भेचे जाते हैं। इनमें कपूर बजाज, सुभाष ७८६ बजाज, शमा बजाज, बकसिंह बजाज तथा सुपर बजाज आदि नाम प्रमुख हैं।

नागपुर से यह मिनी सिलेण्डर निर्माता 'नो आब्जेक्शन' स्टैम्पिंग करने की भी जरूरत नहीं समझते तथा न्यूरो आफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स को भी यह निर्माण अनुमति प्राप्त है।

से ८० लाख की लागत आती है। आई.एस.आई. द्वारा सम्बंधित अधिकारियों द्वारा १२ स्थलों पर जांच के बाद ही इन सिलेण्डरों को बिक्री के लिये अनुमति दी जाती है।

गैस सिलेण्डर नियम १९८९ के अन्तर्गत अधिकृत रिफिल स्टेशनों पर ३० रुपये में मिनी गैस सिलेण्डरों में गैस भरवाई जा सकती है। चूंकि अवैध निर्माताओं के पास रिफिल के उपकरण नहीं होते, अतः यह इण्डेन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम वितरकों से मिलकर रिफिल का कार्य करते हैं। यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। इसके अलावा सिलेण्डर में गैस का दबाव बढ़ने से विस्फोट होने का खतरा हर समय चरता रहता है।

इससे पूर्व भी इस विभाग ने प्रदेश के उद्योग निदेशक, जिला उद्योग केन्द्रों, मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश को इस सम्बंध में अनेक पत्र लिखकर जनहित में कार्यवाही करने के लिये कहा था।

पिछले तीन वर्षों में नागपुर के मुख्य नियंत्रक द्वारा बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही कारण है कि गैरकानूनी रूप से मिनी सिलेण्डर निर्माण करने वाली इन इकाईयों की संख्या ३५ से बढ़कर १२४ तक जा पहुंची है।

नागपुर स्थित विभाग को इन सिलेण्डरों के विषय में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में पांच औद्योगिक इकाईयों को आई.एस.आई. निर्धारित मानक के अनुसार मिनी गैस सिलेण्डर बनाने की अनुमति दी थी। इनमें से एक इकाई मेरठ में है।

सूत्रों के अनुसार यह पांच मिनी गैस निर्माण इकाईयां फीस के रूप में पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रतिवर्ष प्रति इकाई ७०,५०० रुपये देती हैं। इसके अलावा अगर बिक्री ३० लाख से ऊपर पहुंचती है तो वे १० प्रतिशत व्यापार टैक्स तथा १५ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी देती हैं। दूसरी तरफ गैरकानूनी रूप से कार्य कर रही इकाईयां न तो केन्द्र को टैक्स देती हैं तथा न ही प्रदेश सरकार को इसके बदले में कुछ मिलता है।

फिलेण्डर निर्माण इकाई को सुरक्षा के लिये खतरनाक अनुमानित २५ हजार मिनी गैस सिलेण्डरों का निर्माण होता है। इनमें से लगभग १० प्रतिशत माल दिल्ली आया है जहां से इन देश के विभिन्न भागों में माँचा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरठ से यह माल नेपाल तक भेजा जाता है। यह मिनी सिलेण्डर अनेक ब्रांड नामों से भेचे जाते हैं। इनमें कपूर बजाज, सुभाष ७८६ बजाज, शमा बजाज, बकसिंह बजाज तथा सुपर बजाज आदि नाम प्रमुख हैं।

## Spurious LPG cylinder units continue to thrive in Meerut

By KK Sharma Business Times Bureau

MEERUT: Large-scale unauthorised manufacturing of mini liquefied petroleum gas (LPG) cylinders and regulators is being carried out in the city. This is despite the fact that the department of explosives, Nagpur, under the Union petroleum ministry, has requested the local administration to take stern steps and stop this illegal practise, which is a very sophisticated and risky job.

Sources said that more than 130 unauthorised manufacturers have been running their units successfully in connivance with the district administration. Interestingly, the number of such unauthorised manufacturers has gone up to 130 from 100 in a span of three years. These units, with a workforce of nearly 1,300, manufacture approximately 25,000 spurious and sub-standard mini gas cylinders every day, copying the popular brands approved

by the explosives department.

The Union petroleum ministry, so far, has permitted only five manufacturers in different parts of the country to produce the ISI-marked mini gas cylinders. According to sources, these five approved manufacturers pay an annual fee of Rs 70,500 each to the petroleum ministry as well as 10 per cent sales tax/trade tax and 15 per cent excise duty, if their yearly sales exceed Rs 30 lakh.

On the other hand, these unauthorised units do not pay any tax to the Union and the state governments. According to those who are close to this illegal industry, what these units pay is an illegal *suidha shulka* say, between Rs 15 lakh and Rs 16 lakh (roughly Rs 2 per cylinder) per month to the concerned four departments in this district so that their unregistered units are allowed to run without any hurdles. These departments in the Meerut

district are civil supplies, industries, police and trade tax departments.

Sources told *The Times of India* that these spurious mini LPG cylinders are being marketed under many brand names. It is estimated that 90 per cent of these spurious cylinders reach Delhi's Sadar Bazar from where they are supplied all over India.

According to the petroleum ministry guidelines, an NOC from the explosives department, Nagpur, as well as another certificate from the Bureau of Indian Standards (BIS) are necessary to undertake the manufacture of mini LPG cylinders. Sources told this correspondent that these ISI-marked LPG cylinders are tested by concerned government officials at 12 points before they are allowed to be retailed to consumers. They are refilled at Rs 30 per cylinder at filling plants licensed under the Gas Cylinders Rules, 1981.